अधिक वृद्धि हुई है और सरकार इस समस्या से निपटने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) बंगलादेश के साथ लगने वाले पश्चिम बंगाल के जिलों और भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर निम्न प्रकार है :

जिला	वृद्धि दर (1981—91)
कूच बिहार	21.82 प्रतिशत
जलपाईगुड़ी	25.96 प्रतिशत
दार्जीलिंग	30.40 प्रतिशत
पश्चिम दीनाजपुर	30.25 प्रतिशत
मालदा	29.63 प्रतिशत
मुर्शिदाबाद	28.04 प्रतिशत
नादिया	29.82 प्रतिशत
उत्तरी 24-परगना	31.66 प्रतिशत
दक्षिणी 24-परगना	30.08 प्रतिशत
अखिल भारतीय	23.56 प्रतिशत

(ग) और (घ) जिन क्षेत्रों में बड़े स्तर पर बंगला देश के राष्ट्रिकों द्वारा घुसपैठ किये जाने का अनुमान है, वे असम, त्रिपुरा, बिहार के भाग मणिपुर, नागालैण्ड तथा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली है।

सीमा सुरक्षा बल द्वारा की जा रही निगरानी तथा राज्य पुलिस द्वारा पता लगाने के कार्य में विदेशियों की घुसपैठ की रोकथाम तथा "मोबाईल टास्क फोर्स" नामक योजनाओं के अधीन स्वीकृत बलों द्वारा सहायता की जाती है, के अतिरिक्त किए गए निम्नलिखित उपायों में अन्य उपायों के साथ-साथ असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में पहचान-पत्र जारी करने की योजना को स्वीकृति देना, भारत-बंगलादेश सीमा की संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क निर्माण और बाड़ लगाने की परियोजना का कार्य करना, बंगलादेश में स्थित भारतीय उच्च आयोग द्वारा बंगलादेश के नागरिकों द्वारा वीजा जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पत्रों की बारीकी से जांच करना तथा बंगलादेशी राष्ट्रिकों का भारत में ठहरने की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को प्राप्त अधिकारों की संख्ा में करना शामिल है।

अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए समिति

260. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उनको स्वदेश वापस भेजने की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए हाल ही में एक मंत्री स्तर की समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में शामिल किए गए मंत्रालयों और उनके प्रतिनिधियों के नाम क्या-क्या हैं;

(ग) क्या समिति द्वारा इस कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस समिति ने सरकार को अब तक कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और यह प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

सीमा पर कंटीले तार लगाया जाना

261. डा० जितेन्द्र कुमार जैन :
श्री राम जेठमलानी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा